

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

प्रकरण संख्या:- 135/2019

दिनांक:- 24.06.2019

राजेन्द्र कुमार पिता सोहनलाल बालोटिया जाति ब्राह्मण उम्र 48 वर्ष निवासी निम्बाहेड़ा।

// बनाम //

1. दल्ला पिता भेरा जाति मीणा उम्र 65 वर्ष निवासी कानपुरा तहसील निम्बाहेड़ा।
2. कंवरलाल पिता हजारी जाति जाट उम्र 47 वर्ष निवासी बड़ोलीघाटा तह0 निम्बाहेड़ा।
3. मु0 कैलाशी बाई पत्नि घासीलाल जाति नायक उम्र 58 वर्ष निवासी बड़ोलीघाटा तह0 निम्बाहेड़ा।

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा बड़ोलीघाटा प0ह0 बड़ोलीघाटा तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 314 की आराजी न0 263 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी न0 264 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी न0 265 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, आराजी न0 294 रकबा 0.3800 हैक्टेयर कुल कीता 4 कुल रकबा 0.8400 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पड़ौसी है। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 400/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं हाने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा बड़ोलीघाटा प0ह0 बड़ोलीघाटा तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 314 की आराजी न0 263 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी न0 264 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी न0 265 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, आराजी न0 294 रकबा 0.3800 हैक्टेयर कुल कीता 4 कुल रकबा 0.8400 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करे।

आज दिनांक 24.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



401
(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

